नगर निगम, जयपुर

एम्पावर्ड कमेटी प्रशासन शहरों के संग 2012 कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 20. 3. 2013 को 4:00 बजे प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के अंतर्गत गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित हुई। जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :–

1. श्रीमती ज्योति खण्डेलवाल	महापौर	अध्यक्ष।
2. श्री जगरूप सिंह यादव	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य सचिव।
3. श्री सतीश कुमार शर्मा	वरिष्ठ नगर नियोजक प्रभार अति0 मुख्य नगर नियोजक	सदस्य।
4. श्री आर. के. पालीवाल	मुख्य अभियन्ता	सदस्य।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भू. सं./योजना का नाम	प्रकरण का प्रकार (उपविभाजन/पुनर्गठन/आवासीय निर्माण स्वीकृति/ व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति/अन्य)	प्रकरण पर समिति द्वारा लिया गया निर्णय
1	श्रीमती पूजा बसन्दानी	ई–27, आनन्दपुरी, मोती डूंगरी रोड, आदर्श नगर, जयपुर	उपविभाजन स्वीकृति बावत् (आवासीय)	1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स के अनुसार प्रस्तावित उपविभाजन को अनुमोदित किया जाता है। 2. आवेदक के कब्जे में जो कार्नर रेडियर की भूमि है उसपर से कब्जा हटवाकर मानचित्र जारी किये जायें। 3. नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 19.02.10 के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार अग्र सैट बैक में जो निर्माण है वह 10 वर्ष पूर्व का इस बावत् आवेदक से प्रमाण/दस्तावेज मांगे जाये व आवेदक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए कि उक्त निर्माण उपविभाजन किये जाने से नियमन नहीं माना जायेगा। 4. साईड सैट बैक में अवैध निर्माण बावत् राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 19.02.10 के बिन्दु 1 के अनुसार आवेदक से इस बावत् शपथ पत्र लिया जाए कि उक्त अवैध निर्माण का उपविभाजन से नियमन नहीं माना जायेगा। 5. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् उपविभाजन मानचित्र जारी किये जायें।
2	श्री प्रवीण चन्द जावेरी	बी–7, सी–स्कीम, जयपुर	व्यावसायिक बहुमंजिली भवन निर्माण स्वीकृति बावत्।	1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स अनुसार व्यावसायिक बहुमंजिला भवन निर्माण स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. आवेदक द्वारा जो फ्रन्ट व साईड सैट बैक में जो रैम्प प्रस्तावित किया गया है उसे अनुमोदित किया जाता है।

				3. भवन की ऊँचाई 30.00 मीटर से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जायें। 4. भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक .... के निर्णय अनुसार लिए गये नीतिगत निर्णय अनुसार नागरिक उड्यन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। 5. मानक एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. पर नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी ली जायें। 6. भवन की ऊँचाई 15.00 मीटर से अधिक होने के कारण फायर की अनापत्ति प्राप्त की जायें। 7. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् एवं फायर की अनापत्ति तथा राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जायें। आवेदक के आवेदन के कम में आवेदक द्वारा फायर की अनापत्ति प्रस्तुत कर दी जाती है तो 30.00 मीटर की ऊँचाई के भवन मानचित्र जारी कर दिये जाये व शेष मानचित्र राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने व नागरिक उड्यन विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने पश्चात् जारी किया जायें।
3	श्री सौरभ जैन व श्रीमती रूचिका जैन	सी–31, सेठी कॉलोनी, जयपुर	उपविभाजन स्वीकृति बावत्।	1. एजेण्डा में की गई अभिशंषा अनुसार प्रस्तावित उपविभाजन को अग्र सैट बैक में नया निर्माण होने के कारण निरस्त किया जाता है।
4	श्रीमती कृष्णा देवी महेश्वरी	बी–79, राजेन्द्र मार्ग, बापू नगर, जयपुर	बहुमंजिला आवासीय (फ्लैट्स) भवन निर्माण स्वीकृति बावत्।	1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स के अनुसार बहुमंजिला आवासीय निर्माण अनुमोदित किये जाते है। 2. भवन की ऊँचाई 15.00 मीटर से अधिक होने के कारण फायर की अनापत्ति प्राप्त की जाएँ। 3. भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक .... के निर्णय अनुसार लिए गये नीतिगत निर्णय अनुसार नागरिक उड्यन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। 4. मानक एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. पर नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी ली जायें। 5. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् एवं फायर की अनापत्ति प्राप्त होने के बाद मानचित्र जारी किये जायें।
5	श्री मंगल कुमार	डी–136, सावित्री पथ, बापू नगर, जयपुर	उपविभाजन स्वीकृति बावत् (आवासीय)	1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स अनुसार प्रस्तावित उपविभाजन को अनुमोदित किया जाता है। 2. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् प्रस्तावित उपविभाजन मानचित्र जारी किये जायें।

6	श्री जयेश बंसल एवं अन्य जरिये निदेशक एलीमेन्टस इन्फ्रा डवलपमेंट प्रा. लि.	सी–145, दयानन्द मार्ग, तिलक नगर, जयपुर	स्वतंत्र आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति बावत्।	1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स अनुसार स्वतंत्र आवासीय निर्माण (आवासीय फ्लैट्स) अनुमोदित किये जाते है। 2. सडक को 40'–0" चौडा किये जाने हेतु आवेदक से 1'–0"X 89'–0"= 9.88 वर्ग गज भूमि निशुल्क समर्पित कराई जायें। 3. मानक एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. पर नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी ली जायें। 4. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जायें।
7	श्रीमती लाजवन्ती देवी, डा0 अविनाश अग्रवाल एवं श्री अशोक अग्रवाल	नानाजी का बाग, फतेह टीबा, जयपुर	पुर्नगठन स्वीकृति बावत् (आवासीय)	1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स के अनुसार प्रस्तावित पुर्नगठन मानचित्र को अनुमोदित किया जाता है। 2. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् पुर्नगठन मानचित्र जारी किये जाये।
8	श्री सुरेन्द्र कुमार मल्होत्रा एवं श्री महेन्द्र . कुमार मल्होत्रा	254, गली नं. 4, वशिष्ठ मार्ग, राजापार्क, जयपुर	उपविभाजन स्वीकृति बावत् (आवासीय)	प्रकरण में स्वामित्व की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण को पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायें।
9	श्री दुर्गा नारायण माथुर	डी–157, सावित्री पथ, बापू नगर, जयपुर	उपविभाजन एवं पुर्नगठन स्वीकृति बावत् (आवासीय)	एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स अनुसार भूखण्ड के मूल पैरामीटर्स को यथावत रखते हुए व प्रकरण में निदेशक विधि द्वारा दी गई राय के मध्येनजर उपविभाजन व पुर्नगठन अनुमोदित निम्न शर्त के साथ किया जाता है। 1. मूल भूखण्ड के चारों ओर के सैट बैक क्षेत्र के कॉमन पैसेज पर सभी का अधिकार रहेगा। 2. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् पुर्नगठन व उपविभाजन मानचित्र जारी किये जायें।
10	श्रीमती मोतिया दीवान	एस.पी.–3, भाभा मार्ग, तिलक नगर, जयपुर	उपविभाजन स्वीकृति बावत् (आवासीय)	1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स अनुसार मूल भूखण्ड के पैरामीटर्स यथावत रखते हुए उपविभाजन अनुमोदित किया जाता है। 2. सडक को योजना अनुसार 60'–0" चौडा किया जाने हेतु आवेदक से 0'–9" गहरी सडक के समानान्तर भूमि समर्पित कराई जायें। 3. पत्रावली के पैरा 30/एन पर जो स्वामित्व स्पष्ट किया गया है वह 458.34 वर्ग गज अंकित है। जबकि आवेदक द्वारा उपविभाजन के जो मानचित्र प्रस्तुत किये गये है वह 484.63 वर्ग गज के प्रस्तुत किये गये है। अतः क्षेत्रफल को स्पष्ट कराते हुए जितनी भूमि पर स्वामित्व बनता है उतने क्षेत्र का उपविभाजन मानचित्र जारी किया जायें। 4. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् उपविभाजन मानचित्र जारी किये जायें।

11	श्री आशीष माथुर	सी–221, मोती डूंगरी तिलक नगर, जयपुर	उपविभाजन स्वीकृति बावत्।	1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स अनुसार प्रस्तावित भूखण्ड के पैरामीटर्स को यथावत रखते हुए उपविभाजन मानचित्र अनुमोदित किया जाता है। 2. नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 19.02.10 के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार साईड व पीछे के सैट बैक में जो निर्माण है उस बावत् आवेदक से शपथ पत्र लिया जाए कि उक्त उपविभाजन किये जाने से सैट बैक में विद्यमान अवैध निर्माण का नियमन नहीं माना जायेगा। 3. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् उपविभाजन मानचित्र जारी किये जायें।
12	ए.बी. ए. बिल्डस्टेट प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री आशीष खुराना व अन्य	ए–38, जनता कॉलोनी,जयपुर	आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति बावत्।	1. एजेण्डा में पैरामीटर्स अनुसार व प्रस्तावित संशोधन के साथ प्रस्तावित स्वतंत्र फ्लैट्स निर्माण स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. सडक की चौडाई को 60'–0" किये जाने हेतु आवेदन से 0'–6"X60'–0" गहरी भू–पटटी सडक के समानान्तर समर्पित कराई जायें। 3. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति जारी की जावें।

प्रकरण संख्या 3 में आवेदक को सुनवाई हेतु बुलाया जावे।

अध्यक्ष, महापौर नगर निगम, जयपुर	सदस्य सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जयपुर	सदस्य, वरिष्ठ नगर नियोजक प्रभार अति0 मु0 नगर नियोजक नगर निगम, जयपुर	सदस्य, मुख्य अभियन्ता नगर निगम, जयपुर	आयुक्त (आयोजना) नगर निगम, जयपुर

क्रमांक :– एफ 13 ( ) व. न. नियो./जननि./2013/634

दिनांक:– 8/4/13

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सहायक, मा. महापौर महोदया, नगर निगम, जयपुर।
2. निजी सहायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
3. अति0 मुख्य नगर नियोजक, नगर निगम, जयपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, जयपुर।
5. संबंधित आयुक्त, ... जोन, नगर निगम, जयपुर।
6. गार्ड फाईल।

सदस्य सचिव,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
नगर निगम, जयपुर